न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 98 / 2023	2023 / 463	26.07.2023	18.07.2025

01. प्रवर्तन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री मिथलेश, सुहानी चुल्हा सर्विस, दुकान संख्या 27, 28 ओवर ब्रिज के नीचे, मदरसा रोड, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत् एचपीसीएल कंपनी के 10 भरे हुए सिलेंडर और इंडेन कंपनी के 2 सिलेंडर (क्षमता 14.2 किलोग्राम) कुल 12 गैस सिलेंडरों को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन निरीक्षक —विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री श्योराम सिंह नरूका —अप्रार्थी अधिवक्ता।

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत एचपीसीएल कंपनी के 10 भरे हुए सिलेंडर और इंडेन कंपनी के 2 सिलेंडर (क्षमता 14.2 किलोग्राम) कुल 12 गैस सिलेंडरों को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी, प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक दिनांक 22.10.2015 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की सूचना मिलने पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में मैं प्रशान्त यादव पुलिस थाना एनईबी, अलवर पहुंचा। मौके पर श्री प्रमोद सिंह हेडकॉनिस्टेबिल संख्या 1801 द्वारा तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

मुताबिक तहरीर रिपोर्ट सुहानी चुल्हा सर्विस, दुकान संख्या 27, 28 ओवर ब्रिज के नीचे, मदरसा रोड, अलवर पर दुकान के अन्दर आग लगने की सूचना मिली एवं मौके पर जाकर देखा तो दुकान में आग लगी थी। दुक दुकान में कुल 12 गैस सिलेण्डर्स जिनमें से 10 सिलेण्डर्स एचपी कम्पनी के व 2 इण्डेन कम्पनी के थे। उक्त सभी 12 गैस सिलेण्डर्स को दुकान से थाने लाया गया। जांच के दौरान थाना परिसर में उपस्थित दुकान मालिक श्री मिथलेश ने स्वयं को इन सिलेण्डर्स का मालिक तथा सुहानी चुल्हा सर्विस दुकान स्वयं की होना बताया। सिलेण्डर्स की जांच करने पर सभी 12 गैस सिलेण्डर्स एचपीसीएल कम्पनी के 10 एवं 2 इण्डेन कम्पनी के गैस सिलेण्डर पाये गये, जो घरेलू उपयोग की श्रेणी के है। जिनकी सील हटी हुई है तथा सभी 14.2 किग्रा क्षमता के हैं। उक्त सभी 12 में से 6 सिलेण्डर्स में गैस मापने पर कुल 58 किग्रा गैस होना पाया गया।

सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सभी 10 सिलेण्डरों को गै० मोहन गैंस एजेंसी, अलवर के कार्यकर्ता श्री रतन लाल मीणा पुत्र श्री नेमीचंद मीणा, उम्र 25 वर्ष जाति मीणा, निवासी भुगोर गुरूजी की कोटी, अलवर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त एचपीसीएल कम्पनी के 10 भरे एवं इण्डेन कम्पनी के 2 सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) कुल 12 गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी महोदय को वक्त निरीक्षण समस्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया था ब दस्तावेज भी दिखा दिये गये थे फिर भी उन्होंने प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही की। प्रार्थी ने कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया है न ही प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का कोई उल्लंघन किया है न ऐसा कोई मामला बनता है। वक्त निरीक्षण कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं बनाया गया है। प्रार्थी कतई निर्दोष है। अतः निवेदन है कि उक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को इससे मुक्त फरमाया जावे व जब्तशुदा गैस सिलैण्डरों को प्रार्थी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक अलवर के कथनानुसार मुताबिक तहरीर रिपोर्ट सुहानी चुल्हा सर्विस, दुकान संख्या 27, 28 ओवर ब्रिज के नीचे, मदरसा रोड, अलवर पर दुकान में कुल 12 गैस सिलेण्डर्स जिनमें से 10 सिलेण्डर्स एचपी कम्पनी के व 2 इण्डेन कम्पनी के थे। उक्त सभी 12 गैस सिलेण्डर्स को दुकान से थाने लाया गया। जांच के दौरान थाना परिसर में उपस्थित दुकान मालिक श्री मिथलेश ने स्वयं को उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का मालिक तथा सुहानी चुल्हा सर्विस दुकान स्वयं की होना बताया। उक्त सिलेण्डरों की जांच करने पर एचपीसीएल कम्पनी के 10 एवं 2 इण्डेन कम्पनी के कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर्स पाये गये, जिनकी सील हटी हुई तथा सभी 14.2 किग्रा क्षमता के हैं। अप्रार्थी द्वारा स्वयं की उक्त दुकान पर भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा एचपीसीएल कम्पनी के 10 भरे एवं इण्डेन कम्पनी के 2 सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) कुल 12 गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि एचपीसीएल कम्पनी के 10 भरे एवं इण्डेन कम्पनी के 2 सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) कुल 12 गैस सिलेण्डर्स को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)